भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1627

उत्तर देने की तारीख- 13/02/2023

विश्वविद्यालयों की मान्यता

†1627. श्री वाई. देवेन्द्रप्पा:

श्री अरुण सावः

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारेः

श्री मोहन मंडावी :

श्री दिलीप शइकीया:

श्री देवजी पटेल:

श्री रणजितसिंह नाईक निंबालकर:

श्री विजय बघेल :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय और कॉलेज अभी भी बिना मान्यता के चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) छात्रों के लाभ के लिए सरकार द्वारा सभी शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को जल्दी से जल्दी मान्यता प्रणाली के तहत लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(**डॉ. सुभाष सरकार**)

(क) से (ग): राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को उनकी संस्थानिक विकास योजनाओं (आईडीपी) के माध्यम से अगले 15 वर्षों में प्रत्यायन का उच्चतम स्तर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी),

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के एक अंतर विश्वविद्यालय केंद्र द्वारा विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों का प्रत्यायन किया जाता है। यूजीसी से प्राप्त सूचना के अनुसार अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा रिपोर्ट 2020-21 सर्वेक्षण के अनुसार, दिनांक 31.01.2023 को 1113 विश्वविद्यालयों और 43796 महाविद्यालयों में से राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा 418 विश्वविद्यालयों और 9062 महाविद्यालयों का प्रत्यायन किया गया है।

इसके अतिरिक्त, यूजीसी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सभी शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को प्रत्यायन प्रणाली के अंतर्गत लाने के लिए, एनएएसी ने मूल्यांकन और प्रत्यायन संबंधी शुल्क संरचना में अत्यधिक कमी की है। संबद्ध/संघटक महाविद्यालयों के लिए स्व-अध्ययन रिपोर्ट के मैनुअल में मेट्रिक्स/प्रश्न भी काफी कम कर दिए गए हैं।

*****